न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,महवा जिला दौसा

मु.नं. 99/2022

1.कजोडमल पुत्र हरेत
2.बंशीलाल पुत्र हरेत जाति गुर्जर नि. पाटौली
तहसील महवा
3.अशोकी पुत्री सांवलिया
4.उर्मिला पुत्री सांवलिया जाति मीना नि. पाटौली
5.रामकरण पुत्र सांवलिय
6.विमला पुत्री सांवलिया
7.समयसिंह पुत्र सांवलिया
8.राहुल पुत्र रमेश
9.साहिल उर्फ शुभम पुत्र रमेश
10.लक्ष्मी पुत्री रमेश
11.रविना पुत्री रमेश
12.निशा पुत्री रमेश
13.चन्दू उर्फ चंचल
14.आकाश कुमार पुत्र मदन
15.बनो उर्फ बत्तो
16.लोकेश कुमार पुत्र मदन
17.सुमन कुमारी पुत्री मद
18.कैलाश पुत्र सूवा
19.गोपाल पुत्र सूवा
20.घासी लाल पुत्र सूवा
21.प्यारेलाल पुत्र सूवा
22.बच्चूलाल पुत्र सूवा
23.मीरा पुत्री सूवा
24.घनश्याम पुत्र मोतीलाल
25.मेघसिंह पुत्र मोतीलाल
26.पूरन पुत्र रामसिंह
27.प्रेम पुत्र रामसिं
28.मुकेश पुत्र रामसिंह
29.मानसिंह पुत्र रामसिंह
30.हजारी पुत्र ज्वाना
31.फतेहसिंह पुत्र ज्वाना
32.मोहनलाल पुत्र ज्वाना समस्त जाति मीना नि.
पाटौली तहसील महवा जिला दौसा
33.कौशल्या पत्नि रामसिंह
34.चन्द्रभान पुत्र सुरज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

35.ज्ञानसिंह पुत्र रामसिंह
36.धर्मसिंह पुत्र सुरज्ञान
37.बत्तूसिंह पुत्र रामसिंह
38.रुकमणी पत्नि सुरज्ञान
39.रामकरण पुत्र रामसिंह
40.हरज्ञान पुत्र भौरया
41.रवि गुर्जर पुत्र सिया
42.किशना पुत्री सिया
43.पिकीं पुत्री सिया समस्त जाति गुर्जर
44.भौती पत्नि स्व. सिया नि. पाटौली तह. महवा
45.आशा पत्नि स्व. रमेश जाति मीना नि.पाटौली
तहसील महवा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1.तहसीलदार,महवा जिला दौसा।
2.तहसीलदार,टोडाभीम जिला करौली।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी,
धारा 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक: 25.08.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाटौली तहसील महवा की आराजी ख.नं. 619 रकबा 0.51 हैक्टर के तन्हा खातेदार प्रार्थी सं. 1 व 2 हैं। एवं ग्राम पाटौली तहसील महवा के ख. नं. 622 रकबा 0.57 हैक्टर, 623 रकबा 0.51 हैक्टर, 624 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.59 हैक्टर जिसके तन्हा खातेदार प्रार्थी सं. 3 लगायत 33 है एवं ग्राम पाटौली तहसील महवा के ख.नं. 616 रकबा 0.57 हैक्टर के तन्हा खातेदार प्रार्थी सं. 34 लगायात 45 है। प्रार्थीगण की आराजी उक्त खसरा नम्बरान के लगवा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.32 हैक्टर गै.मु.रास्ता वाके ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली की आराजी है। प्रार्थीगण सीधे सादे तथा कानून में आस्था

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

रखने वाले व्यक्ति है जबकि भजेडा के दीगर खातेदारों ने राजकीय भूमि ख.नं. 371 रकबा 0.32 हैक्टर की भूमि पर तो कब्जा कर रखा है तथा उक्त रास्ते की उक्त भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में होकर निकलना चाहते है तथा वे झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कि आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में व्यवधान पैदा करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है तथा विवाद पैदा करते है। अतः निवेदन है कि ग्राम पाटौली तहसील महवा की आराजी ख.नं. 616/0.57, 619/0.51, 622/0.57, 623/0.51, 624/0.51 की पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में तहसीलदार महवा एवं तहसीलदार, टोडभीम द्वारा टीम गठित कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया लेकिन अप्राथी अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुआ। इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के वकील एवं सरकार पक्ष की वहस सुनी जिसका मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी ग्राम पाटौली तहसील महवा जिला दौसा में संवत 2073–76 आराजी ख.नं. 616/0.57, 619/0.51, 622/0.57, 623/0.51, 624/0.51 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा नकल जमाबंदी सं. 2074–2077 ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली ख.नं. 371 राज.सरकार दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण उक्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार है। अतः उक्त निवेदन अनुसार प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भूराजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटौली तहसील महवा जिला दौसा में आराजी ख.नं. 616/0.57, 619/0.51, 622/0.57, 623/0.51, 624/0.51 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार महवा द्वारा टीम गठित की जावे एवं तहसीलदार टोडाभीम से समन्वय स्थापित कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारों को दिनांक व समय बावत् नोटिस दिया

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। तहसीलदार महवा को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल तफदर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा